

प्रियंका ने पायलट को केरल का मुख्य पर्यवेक्षक काफी सोच समझकर बनवाया है

सोच है कि केरल में के.सी. वेणुगोपाल की दादागिरी से अनावश्यक हानि न हो विधानसभा चुनाव में

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 9 जनवरी। प्रियंका गांधी असम में भाजपा के ताकतवर नेता और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

असम के लिए स्त्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष बनने के बाद, प्रियंका गांधी अब कुछ राज्यों में चुनावी नैरेटिव (विषय वस्तु) पर नियंत्रण करने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं, साथ ही उन्होंने कुछ नेताओं को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त कर चुनावों और कांग्रेस नेताओं पर निगरानी रखने का भी फैसला किया है। इनमें से कई नेता चुनावों के दौरान दोगला खेल खेलते रहें हैं। गांधी परिवार के मित्र भंवर जितेन्द्र सिंह का उदाहरण लीजिए, जो असम के प्रभारी हैं। पिछली बार जब वे असम के प्रभारी थे, तब पार्टी बुरी तरह हार गई थी। अब उन्हें फिर से असम का प्रभारी

- पायलट, प्रियंका गांधी को रिपोर्ट करेंगे तथा अगर सभी नेताओं को समुचित मौका नहीं मिल रहा होगा तो यह बात भी प्रियंका गांधी तक पायलट ही पहुंचाएंगे।
- इसी प्रकार प्रियंका, भूपेश बघेल और डी.के. शिवकुमार को भी पर्यवेक्षक के रूप में असम ले गई हैं। यह दोनों भारी नेता हैं और असम में कांग्रेस नेताओं की आपसी फूट व कांग्रेस की रणनीति संबंधित खबरें “लीक” करने की प्रवृत्ति पर भी कुछ नियंत्रण तो लगेगा।
- साथ ही, दोनों नेता, डी.के. शिवकुमार व भूपेश बघेल की चुनाव अभियान में सक्रिय भूमिका रहने से, चुनाव खर्च के लिए पर्याप्त धन व साधन उपलब्ध कराये जा सकेंगे।
- अगर, कांग्रेस असम चुनाव जीत जाती है तो प्रियंका की राजनीति में चमक तो आएगी ही, राजस्थान की राजनीति पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वेणुगोपाल राजस्थान में गहलौत, डोटानगरा व रंथावा को पनपाना चाहते थे, उनका पक्ष लेते हैं तथा पायलट को रोकना चाहते हैं।

नियुक्त किया गया है, जहां पार्टी सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि भंवर जितेन्द्र सिंह और उनकी टीम के बारे में रिपोर्ट्स बहुत सकारात्मक नहीं हैं। पार्टी नेतृत्व तक यह खबर पहुंची है कि उनके

एक सहयोगी ने टिकट देने के बदले पैसे लिए थे, जिससे कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ। अब प्रियंका यह चाहती हैं कि टिकट वितरण पर उनका पूरा नियंत्रण हो। इसके साथ ही, प्रियंका ने भूपेश

बघेल और डीके शिवकुमार को असम के पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है, ताकि चुनावों के लिए जरूरी फंड्स में कोई समस्या न आए। हेमंत बिस्वा सरमा से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस (शेष पृष्ठ 5 पर)

आई पैक पर ईडी की रेड, ममता जी की प्रतिक्रिया पर मतभेद हैं कांग्रेस के नेताओं में

कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं और राज्य नेताओं की प्रतिक्रियाएं एकदम उलट हैं

-जाल खंभाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 9 जनवरी। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) द्वारा इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई पैक) के कार्यालय और आई पैक के सह-संस्थापक प्रतीक जैन के कोलकाता के लॉडन स्ट्रीट स्थित आवास पर एक साथ रेड और तलाशी ऑपरेशन को लेकर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाओं में मतभेद दिखाई दे रहा है। इस मामले में कांग्रेस के वैचारिक मतभेद विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के एक राष्ट्रीय स्तर के नेता और एक राज्य स्तर के नेता की प्रतिक्रिया में स्पष्ट हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आई पैक कार्यालय और उसके सह-

- वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, जो सुप्रीम कोर्ट के नामचीन वकील भी हैं, ने आई पैक पर रेड करने की ईडी की कार्यवाही की कड़ी निंदा की और कहा कि ईडी अब राजनैतिक सलाहकारों पर भी रेड करने लगा है।
- ज्ञातव्य है कि अभिषेक मनु सिंघवी कई हाई प्रोफाइल मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ममता बनर्जी की सरकार की पैरवी कर चुके हैं।
- इसके विपरीत पश्चिम बंगाल के पूर्व पीसीसी प्रमुख, 5 बार सांसद रहे अधीर रंजन चौधरी ने ईडी की कार्यवाही पर ममता जी की घबराहट पर निशाना साधा और कहा, इसमें जरूर कोई राज की बात है।

संस्थापक प्रतीक जैन आवास पर ईडी की छापेमारी की आलोचना करते हुए

एक बयान जारी किया। (शेष पृष्ठ 5 पर)

‘कार्यकर्ता एनसीपी को एकजुट देखना चाहते हैं’

-जाल खंभाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 9 जनवरी। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने कहा है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दोनों गुटों के कार्यकर्ता एक होना चाहते हैं और

- एनसीपी के प्रमुख और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, दोनों धड़ों के कार्यकर्ता एक होना चाहते हैं और अब पवार परिवार में भी तनाव खत्म हो गया है।

पवार परिवार के भीतर सभी तनाव समाप्त हो गए हैं।

उन्होंने कहा, “दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एकजुट होना चाहते हैं। दोनों एनसीपी अब एकजुट हैं। हमारे परिवार (शेष पृष्ठ 5 पर)

‘वर्ष 2025 में प्र.मंत्री मोदी और ट्रंप के बीच 8 बार फोन पर बात हुई’

विदेश मंत्रालय ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि अमेरिका का दावा झूठा है कि मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया इसलिए ट्रेड डील नहीं हुई

-श्रीनंद झा -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 9 जनवरी। विदेश मंत्रालय ने आज अमेरिका के वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक के इस बयान का खंडन किया कि “भारत-अमेरिका व्यापार समझौता इसलिए नहीं हो पाया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “2025 में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप ने आठ बार फोन पर बात की और कई मौकों पर दोनों देश समझौते के काफी करीब भी पहुंचे थे। इस बातचीत का जो वर्णन किया जा रहा है, और जो टिप्पणियां बताई जा रही हैं, वे सही नहीं हैं।” उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों देश पिछले साल फरवरी से द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर

- अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापारिक समझौता इसलिए नहीं हो सका, क्योंकि मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया था।
- विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गत वर्ष फरवरी से ही दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर वार्ता चल रही है और भारत अभी भी ट्रेड डील में रुचि रखता है।
- भारतीय अधिकारियों ने ट्रंप की इस बात का भी खंडन किया कि प्र.मंत्री मोदी उन्हें “सर” कहते हैं। अधिकारियों ने कहा कि मोदी विदेशी राष्ट्र प्रमुखों को “हिज एक्सलेंसी, प्राइम मिनिस्टर या मिस्टर प्रेसिडेंट” कहते हैं, सर नहीं।

बातचीत कर रहे हैं और दोनों पक्षों ने “एक संतुलित और दोनों के लिए लाभकारी व्यापार समझौता” करने के लिए कई दौर की बातचीत की है। उन्होंने

कहा कि भारत अब भी इस तरह के समझौते को अंतिम रूप देने में रुचि रखता है। इसी बीच, भारतीय अधिकारियों ने

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के इस दावे का खंडन किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें “सर” कहकर संबोधित किया था। अधिकारियों ने कहा कि मोदी वैश्विक नेताओं को संबोधित करते समय एक्सलेंसी, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर या मिस्टर प्रेसिडेंट जैसे सम्मानसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी के लिए भी “सर” शब्द का इस्तेमाल नहीं करते।

इससे पहले, अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने कहा था कि हालांकि अनुबंधों पर बातचीत हो चुकी थी और समझौते का ढांचा भी तैयार था, लेकिन उन्होंने यह भी कहा, “साफ- साफ कहें तो यह उनका (ट्रंप का) सीढ़ा है। वही इसे अंतिम रूप देंगे। सब कुछ तैयार था, लेकिन आपको मोदी से राष्ट्रपति को फोन करवाना था। वे (भारत) ऐसा (शेष पृष्ठ 5 पर)

दिल्ली में सब स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे

नई दिल्ली, 09 जनवरी। दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की ठंड, ठंडी हवाओं और घने कोहरे को देखते हुए, शिक्षा निदेशालय ने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के सभी सरकारी, सरकारी

- कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे में छात्रों की सुरक्षा के लिये यह निर्णय लिया गया।

सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को 15 जनवरी 2026 तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। यह विंटर ब्रेक 1 जनवरी 2026 से शुरू होकर 15 जनवरी तक चलेगा, जो 2025-26 शैक्षणिक सत्र के आधिकारिक कैलेंडर का हिस्सा है। शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि ये छुट्टियां पहले से निर्धारित हैं और राष्ट्रीय राजधानी में जनवरी की शुरुआत में आमतौर पर पड़ने वाली भीषण ठंड, घने (शेष पृष्ठ 5 पर)

और याचिकाकर्ता लीला की ओर से अधिवक्ता वासुदेव चरण और अधिवक्ता अभिषेक अखावत पैरवी के लिए पेश हुए थे।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस मामले में गंभीरता इससे भी बढ़ जाती है, क्योंकि याचिकाकर्ता के वकीलों ने मोबाइल फोन के ‘कई स्क्रीन शॉट’ साक्ष्य की तरह पेश किए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि जेल के अधिकारी कैदियों से पैसे का लेन-देन कर रहे थे। अदालत ने कहा कि यह लेनदेन किसी कैदी को गैर कानूनी विशेष सुविधा पहुंचाने के लिए या वसूली-हफ्ता लेने के तौर पर किया जा रहा था। अदालत ने अपने आदेश में कहा (शेष पृष्ठ 5 पर)

हमला हुआ था। इस मामले में कैदी के परिजनों ने ही अदालत का दरवाजा खटखटया

पोस्टमार्टम से करीबन 6 घंटे पहले लगी है, यानी जब वह कैदी न्यायिक हिरासत में था, तब ही उस पर जानलेवा

चोटें थीं, जिनसे काफी रक्त भी बहा था और सूजन भी थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट में यह भी बताया कि ये चोटें कैदी को

- अदालत ने कहा कि इस मामले में मृतक के परिजनों ने मोबाईल फोन के कई स्क्रीन शॉट साक्ष्य की तरह पेश किए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि जेल के अधिकारी कैदियों से पैसे का लेन-देन कर रहे थे।
- अदालत ने अपने आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह लेनदेन किसी कैदी को गैर कानूनी विशेष सुविधा पहुंचाने के लिए या वसूली-हफ्ता लेने के तौर पर किया जा रहा था।
- अदालत ने तथ्यों को देखते हुए कहा कि न्यायिक हिरासत में हुई मृत्यु के इस मामले में यह भी पता लगाना अत्यन्त आवश्यक है कि कैदी उस समय कौनसे सैल में बंद था जब उस पर जानलेवा हमला हुआ, उसके साथ और कौनसे कैदी बंद थे, और उस सैल की निगरानी करना किस जेल अधिकारी की जिम्मेदारी थी।